IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

(U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)
(वित्त आय-व्ययक अनुभाग)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ
www.upavp.in

भारतीय मानक ब्यूरो ISO 15700

पत्रांकः / वित्त आय-व्ययक अनुभाग/2017-18/ दिनांकः

ई-विनियोजन विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक वर्ष हेतु एफ0डी0आर0 के रुप में जमा किये जाने हेतु निम्नानुसार ई-विनियोजन ऑफर दिनांक-11.12.2017 को सायः 02:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त ऑफर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय लखनऊ के वित्त एवं लेखानुभाग,104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ के कार्यालय में विनियोजन हेतु गठित समिति द्वारा बैंक प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक-11.12.2017 को सायः 03:30 बजे खोली जायेंगी।

कम	कार्य का नाम	विनियोजन की धनराशि ₹ करोड़ में	विनियोजन की अवधि	ई-प्रकाशन की तिथि	ऑफर खोले जाने की तिथि/समय
1.	परिषदफण्ड की ₹ 105.00 करोड़ एवं अवस्थापना फण्ड की ₹ 42.00 करोड़ कुल ₹ 147.00 करोड़ मात्र की धनराशि एक वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफ0डी0आर0 के रुप में विनियोजन	147.00 करोड़	एक वर्ष	28.11.2017	11.12.2017 03:30 PM

महत्वपूर्ण तिथियां:-

1.विनियोजन सूचना के आन-लाइन प्रकाशन की तिथि 28.11.2017 समय 10:00 AM
2.विनियोजन सूचना के डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि 28.11.2017 समय 12:00 PM
3.बैकों द्वारा आन-लाइन ऑफर प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि 28.11.2017 समय 12:00 PM
4.ऑफर खोले जाने की तिथि 11.12.2017 समय 03:30 PM
5.बैकों द्वारा आन-लाइन ऑफर प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 11.12.2017 समय 02:00 PM
6. विनियोजन सूचना के डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 11.12.2017 समय 02:00 PM

सामान्य शर्ते:-

1. विनियोजन विज्ञप्ति परिषद वेब-साईट www.upavp.in के टेण्डर सेक्शन पर देखी जा सकती है।
2.बैंकों द्वारा विनियोजन हेतु विस्तृत विवरण आन-लाइन ऑफर ई-टेण्डर पोर्टल etender.up.nic.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रियानुसार submit किया जायेगा।
3.बैंक द्वारा आन-लाइन ऑफर डिजिटल सिग्नेचर(क्लास-3) का उपयोग करते हुये प्रस्तुत की जायेगी।
4.इच्छुक बैंक उपरोक्त वेबसाइट को देखते रहे ताकि ऑफर के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना वेब-साईट के माध्यम से प्राप्त कर सके।
5.विनियोजन हेतु मात्र लखनऊ स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके ब्याज़ दर के प्रस्ताव ई-विनियोजन ऑफर एवं बन्द लिफाफों में दिये गये ऑफर भी स्वीकार्य होगें।
6.परिषद द्वारा उपरोक्त धनराशि के विनियोजन हेतु बैंकों द्वारा दी गयी आन-लाइन ब्याज़ दरें बल्क डिपाजिट (सम्पूर्ण धनराशि) हेतु ही मान्य/स्वीकार्य होगी तथा इससे इतर दी गयी ब्याज़ दरों एवं सशर्त ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7.विनियोजित की जाने वाली धनराशि तत्समय घट/बढ़ सकती है तथा घटी/बढ़ी राशि हेतु भी उच्चतम् दरें ही मान्य होंगी।

P.T.O.......02

8.कई बैंकों की उच्चतम् दरें एक सामान होने पर विनियोजन की धनराशि बैंकों के मध्य विभाजित करके भी विनियोजित की सकती है।
9.बैंक सुनिश्चित हो लें कि विज्ञप्ति में वर्णित की गयी समस्त विनियोजन की जाने वाली धनराशि उच्चतम् ब्याज़ दर पर लेने हेतु सहमत हैं।
10.बैंकों द्वारा ऑफर की गयी ब्याज़ दरें आगामी तीन दिनों तक प्रभावी रहेंगी। इस सहमति के अभाव में ऑफर निरस्त किया जा सकता है।
11. बैंक द्वारा दिये गये ऑफर में सम्बन्धित बैंक/शाखा का नाम, IFS कोड,खाता संख्या(खाते के विवरण सहित),शाखा प्रबन्धक का दूरभाष संख्या का अनिवार्य रुप से उल्लेख किया जायेगा। जिससे विनियोजित की जाने वाली धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे बैंक के खाते में अन्तरित की जा सके।
12. आन-लाइन ऑफर के अतिरिक्त पूर्व प्रकियानुसार बन्द लिफाफों में दिये गये ऑफर भी स्वीकार्य होगें।
13.ऑफर स्वीकार होने के उपरान्त किसी बैंक द्वारा धनराशि लेने से मना करने पर सम्बन्धित बैंक को काली-सूची में डालते हुये विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
14.ऑफर बिना किसी कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार वित्त नियन्त्रक के पास सुरक्षित रहेगा। ऑफर खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में खोला जायेगा।
15.किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त(म0) का निर्णय अन्तिम होगा।

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियन्त्रक

पृ0सं0 786 / उक्त / दिनांक 27/11/17

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1.वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय,लखनऊ।
2. श्री एस0के0शुक्ला,लेखाधिकारी,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय,लखनऊ।
3. श्री प्रदीप,सहायक लेखाधिकारी,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय,लखनऊ।
4.इंजार्च कम्प्यूटर सेल,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मुख्यालय,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे परिषद की वेब-साईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5.नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6.परिषदफण्ड विनियोजन की पत्रावली।

वित्त नियन्त्रक